राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

आयोग द्वारा दिनांक 26.08.2012 को राज्य पात्रता परीक्षा, 2012 आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.07.2013 को घोषित किया गया था, जिसमे 7316 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

आयोग द्वारा दिनांक 27.7.2014 को राज्य पात्रता परीक्षा, 2013 आयोजित की गई थी इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 3.02.2015 को घोषित किया गया था, जिसमें 6235 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

राज्य पात्रता परीक्षा, 2012 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को एस.एम.एस के द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था एवं राज्य पात्रता परीक्षा, 2013 में अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थियो की कॉउन्सलिंग आयोग कार्यालय में दिनांक 16.03.2016 से की गई थी। राज्य पात्रता परीक्षा 2012 एवं 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार परिणाम घोषित के 02 वर्षो तक विस्तृत आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि आयोग के निर्णयानुसार राज्य पात्रता परीक्षा, 2012 एवं 2013 के अभ्यर्थियों को पूर्व में एस.एम.एस एवं डाक द्वारा अन्तिम नोटिस भी जारी किया जा चुका है लेकिन उक्त पात्रता परीक्षा,के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गये हैं, जिससे उनके पात्रता प्रमाण–पत्र निस्तारित करने में कठिनाई हो रही है।

अतः राज्य पात्रता परीक्षा, 2012, एवं 2013 के जिन अभ्यर्थियों ने अपने विस्तृत आवेदन पत्र अभी तक आयोग को प्रस्तुत नही किये हैं अथवा विस्तृत आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सलंग्नकों यथा शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा की पूर्वाद्ध व उत्तर्राद्ध की अंकतालिकाएं व उपाधि या अस्थायी प्रमाण पत्र (**Provisional certificate**) की फोटो प्रति एवं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विकलागंता प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां (**Original**) मय फोटो प्रति एंव प्रोविजनल रहे विस्तृत आवेदन पत्रों में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, ऐसे सभी अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज आयोग कार्यालय में इस प्रेस नोट के प्रकाशन की दिनांक से 10 दिवस की अवधि तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देवें अन्यथा इस सम्बंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं करते हुए आयोग द्वारा उनकी अस्थायी पात्रता (**Provisional Candidature**) रद्द की जाएगी।

(बी.एल.खटीक)
सदस्य **सचिव एव उपसचिव**
(सेट)